

अध्याय-1

राज्य सरकार के वित्त

उत्तराखण्ड का परिचय

उत्तराखण्ड, भारत सरकार द्वारा राज्यों के संवर्गीकरण पर आधारित विशेष श्रेणी राज्य (एस सी एस) है। उत्तराखण्ड को प्राप्त विशेषाधिकारों में भारत सरकार (भा स) द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता भी सम्मिलित है जिसका 90 प्रतिशत अंश अनुदान एवं 10 प्रतिशत ऋण का अनुपात होता है जो अविशेष श्रेणी राज्यों से भिन्न है जिन्हें 70 प्रतिशत ऋण एवं 30 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के अनुपात में केन्द्रीय अनुदान प्राप्त होता है।

इसके बावजूद, राज्य ने बीते दशक में उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि देखी तथा वर्ष 2002-03 से 2011-12 तक की अवधि के लिए इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद¹ (स रा घ उ) प्रचलित दरों पर मिश्रित वार्षिक विकास दर 19.41 प्रतिशत रही (परिशिष्ट-1)।

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (वर्ष 2000 का अधिनियम संख्या 29) के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 84,79,562 की जनसंख्या वाले 13 जिलों को नवीन उत्तराखण्ड राज्य के लिए 9 नवम्बर 2000 की गठन तिथि से स्थानान्तरित किया गया था। यह अध्याय, चालू वर्ष के दौरान उत्तराखण्ड सरकार के वित्त का विस्तृत परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा विगत पाँच वर्षों के समस्त रुझान के दृष्टिगत, गत वर्ष से सम्बन्धित प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। राज्य सरकार के मुख्य राजकोषीय सकलों में बृहद परिवर्तन, वर्ष 2009-10 के राजस्व आधिक्य का राजस्व घाटे में परिवर्तित हो जाना था, जो पिछले वर्ष लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) हो गया और अंततः चालू वर्ष में राजस्व आधिक्य (₹ 716 करोड़) में परिवर्तित हो गया। चालू वर्ष में, राजकोषीय घाटा ₹ 1,757 करोड़ पर, जी एस डी पी के लगभग 1.85 प्रतिशत के आस-पास टिका रहा, जो कि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानक से काफी नीचे है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम 2005 (तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर मार्च 2011 में संशोधित) और राज्य की मध्यावधि राजकोषीय नीति (एम टी एफ पी) द्वारा, राज्य के स्वयं के राजकोषीय सुधार पथ (एफ सी पी) का सारांश **परिशिष्ट 1.2 (भाग ब)** में दिया गया है।

¹ परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

1.1 चालू वर्ष के राजकोषीय लेनदेन का सार

तालिका-1.1, गत वर्ष (2010-11) के सापेक्ष चालू वर्ष (2011-12) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेनदेन का सार प्रस्तुत करती है जबकि परिशिष्ट-1.4 गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरण उपलब्ध कराता है।

तालिका-1.1
चालू वित्तीय वर्ष के राजकोषीय संचालनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण				
विभिन्न मदें	2010-11	2011-12	विभिन्न मदें	2010-11	2011-12		कुल
	कुल	कुल		कुल	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	
भाग-अ: राजस्व							
राजस्व प्राप्तियाँ	11,608.16	13,691.24	राजस्व व्यय	11,621.07	10,654.11	2,321.08	12,975.19
कर राजस्व	4,405.47	5,615.62	सामान्य सेवाएँ	4,180.15	4,471.39	3.72	4,475.11
करेत्तर राजस्व	678.06	1,136.13	सामाजिक सेवाएँ	5,169.49	4,368.07	1,651.58	6,019.65
संघीय करों/शुल्कों का अंश	2,460.07	2,866.04	आर्थिक सेवाएँ	1,863.75	1,435.85	665.78	2,101.63
भारत सरकार से अनुदान	4,064.56	4,073.45	सहायता अनुदान और अंशदान	407.68	378.80	-	378.80
भाग -ब: पूँजीगत							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	-	पूँजीगत परिव्यय	1,854.84	245.94	2,071.00	2,316.94
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	84.87	90.65	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	59.68	13.79	233.04	246.83
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	2,427.18	2,335.52	लोक ऋणों की चुकोतियाँ*	519.36	--	--	1,015.78
--	--	--	आकस्मिकता निधि को विनियोग**	515.00	--	--	(-)400.00
आकस्मिकता निधि	581.62	126.13	आकस्मिकता निधि	536.71	--	--	69.07
लोक लेखा प्राप्तियाँ	18,703.51	19,668.05	लोक लेखा संवितरण	17,608.18	--	--	19,832.00
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	538.91	1,229.41	अंतिम रोकड़ शेष	1,229.41	--	--	1,085.19
योग	33,944.25	37,141.00	योग	33,944.25	--	--	37,141.00

* इसमें अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अधीन निवल लेनदेन शामिल नहीं हैं।

** ₹ 85 करोड़ का आकस्मिक संग्रह निधि, 2010-11 के दौरान ₹ 515 करोड़ करके बढ़ा दिया था तथा 2011-12 के दौरान ₹ 400 करोड़ करके कम कर दिया तथा 2011-12 के अंत तक ₹ 200 करोड़ पर स्थित था।


इस प्रकार यह विदित होगा कि:

- राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष के सापेक्ष ₹ 2,083 करोड़ (17.94 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः राज्य के अपने कर राजस्व (₹ 1,210 करोड़), करेत्तर राजस्व (₹ 458 करोड़) और संघ के करों/शुल्कों में राज्य के अंश (₹ 406 करोड़) में बढ़ोतरी के कारण थी।
- पिछले साल के सापेक्ष इस वर्ष के दौरान राजस्व व्यय में ₹ 1,354 करोड़ (11.65 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जैसा कि अनुवर्ती प्रस्तर-1.4.1 में वर्णित है।
- पिछले साल के सापेक्ष इस वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में गत वर्ष से ₹ 462 करोड़ (24.91 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जैसा कि अनुवर्ती प्रस्तर 1.4.1 में वर्णित है।
- ऋण एवं अग्रिमों की वसूली ₹ 85 करोड़ (2010-11) से बढ़कर ₹ 91 करोड़ (6.81 प्रतिशत) हो गयी। वर्ष के दौरान ऋण एवं अग्रिमों के वितरण ₹ 187 करोड़ बढ़े (₹ 60 करोड़ से ₹ 247 करोड़) जो मुख्यतः यातायात (₹ 100 करोड़) और ऊर्जा क्षेत्र (₹ 71 करोड़) को अधिक वितरण के कारण हुआ।
- वर्ष 2011-12 के दौरान लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 92 करोड़ की कमी दर्ज हुई।
- उचन्त एवं विविध (₹ 906 करोड़) तथा आरक्षित निधि (₹ 496 करोड़) के अन्तर्गत वृद्धि के कारण लोक लेखा प्राप्तियाँ ₹ 965 करोड़ बढ़ गई। यह प्रेषण (₹ 204 करोड़), जमा एवं अग्रिम (₹ 133 करोड़) और लघु बचत, भविष्य निधि आदि (₹ 100 करोड़) में कमी से प्रतिसंतुलित हुई। उचन्त एवं विविध (₹ 1,650 करोड़), आरक्षित निधियाँ (₹ 592 करोड़) और लघु बचतें, भविष्य निधि (₹ 143 करोड़) में वृद्धि के कारण लोक लेखा संवितरण ₹ 2,224 करोड़ (परिशिष्ट-1.4) बढ़ गया जो प्रेषण (₹ 41 करोड़) और जमा एवं अग्रिम (₹ 120 करोड़) में कमी से प्रतिसंतुलित हुआ।
- वर्ष 2010-11 के अन्तिम अवशेष की तुलना में वर्ष के अन्त में राज्य का रोकड़ शेष ₹ 144.22 करोड़ कम हो गया।

राजकोषीय घाटा, जो वर्ष 2010-11 में ₹ 1,843 करोड़ था, घटकर ₹ 1,757 करोड़ (स रा घ उ का 1.85 प्रतिशत) तक नीचे आ गया, जिससे कि राज्य की राजकोषीय दशा में और सुधार हुआ। वर्ष 2011-12 में राजस्व घाटे को लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) तक नीचे लाने के पश्चात्, मुख्यतः राज्य की राजस्व प्राप्तियों में ₹ 1,669 करोड़ की वृद्धि करने के कारण - जो 2010-11 के ₹ 5,083 करोड़ से 2011-12 में ₹ 6,752 करोड़ हो गयी- सरकार चालू वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 716 करोड़ का राजस्व आधिक्य प्राप्त करने में सफल हुई।

बजट आकलनों के वास्तविक वसूलियों/व्यय से विचलन के अनेक कारण हो सकते हैं। यह बजट बनाने के अवसर पर घटनाओं का पूर्वाभ्यास या अनुमान न होना अथवा व्यय या राजस्व के कम/अधिक आकलन के कारण हो सकता है। यद्यपि, राजस्व की वास्तविक वसूली एवं इसका संवितरण, विविध कारकों, कुछ

आन्तरिक और वाह्य, पर आधारित होता है। चार्ट 1.1 कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदण्डों हेतु बजट आकलन (ब आ) एवं वास्तविक आँकड़े प्रस्तुत करता है।





2011-12 के दौरान, विभिन्न घटकों के सम्बन्ध में बजट आकलनों के सापेक्ष वास्तविक की तुलना ने मिश्रित रूझान को दर्शाया:

- सहायता अनुदान के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति ₹ 1,200 करोड़ (23 प्रतिशत) के कारण समग्र राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 944 करोड़ कम थी। यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में करेत्तर राजस्व ने सीधे चढ़ाव दर्शाया, वह चालू वर्ष के बी ई के सापेक्ष ₹ 511 करोड़ (31 प्रतिशत) कम था, जबकि राज्य का कर राजस्व बी ई के मुकाबले ₹ 767 करोड़ (10 प्रतिशत) अधिक था।
- राजस्व व्यय वर्ष के बजट आकलनों से ₹ 1,351 करोड़ (9 प्रतिशत) कम था।
- मुख्यतः शिक्षा, ऊर्जा और पर्यटन के अन्तर्गत कम संवितरण के कारण पूँजीगत शीर्ष के अन्तर्गत व्यय ₹ 778 करोड़ (25 प्रतिशत) तक अप्रयुक्त रहा।
- राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे तथा प्रारम्भिक घाटे के लिये वर्ष 2011-12 के बजटीय मुख्यानुमान, बजटीय लक्ष्यों के बहुत उपर तथा एफ आर बी एम, अधिनियम 2005 (2010-11 में संशोधित) तथा ते वि आयोग संस्तुतियों के बराबर थे (चार्ट-1.1)।

1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखों के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व प्राप्तियाँ, पूँजी प्राप्तियाँ तथा लोक लेखा प्राप्तियाँ-कुल प्राप्तियों की तीन स्रोत हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों को गठित करती है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय कर एवं शुल्कों में राज्य का अंश तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत राजस्व प्राप्तियाँ- जैसे विनिवेशों से उत्पन्न आय, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आन्तरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/ वाणिज्यिक बैंकों से लिया गया ऋण) से ऋण की प्राप्तियाँ तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है। प्राप्ति के अन्य क्षेत्र लोक लेखे से संग्रहण हैं। **तालिका 1.1** चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है जैसा इसके वार्षिक वित्तीय लेखे (**परिशिष्ट-1.1**) में अभिलेखित है; जबकि **चार्ट 1.2**, वर्ष 2007-12 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियों का चित्रण करता है। **चार्ट 1.3** चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संघटकों को चित्रित करता है।



वर्ष 2007-08 में सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 21,769 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 35,785 करोड़ (64.39 प्रतिशत) हो गयी। वर्ष 2011-12 की ₹ 35,785 करोड़ की प्राप्तियों में से 54.96 प्रतिशत प्राप्तियाँ लोक लेखे से थी जबकि कुल प्राप्तियों का 38.26 प्रतिशत व 6.78 प्रतिशत भाग राजस्व प्राप्तियों व उधारों आदि से आया।

गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 17.94 प्रतिशत बढ़ गईं। पिछले वर्ष की वृद्धि 22 प्रतिशत थी और राज्य की प्राप्तियों में इसके संघटक में अल्पवृद्धि (2.89 प्रतिशत) प्रदर्शित हुई। यद्यपि, पूँजीगत प्राप्तियों के अन्तर्गत इस वर्ष ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली ने गत वर्ष की तुलना में 6.81 प्रतिशत वृद्धि प्रदर्शित की, जबकि पिछले वर्ष की वृद्धि 30.91 प्रतिशत थी (तालिका-1.1 में संदर्भित)।

लोक लेखा प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ

- लघु बचत, भविष्य निधि आदि के अन्तर्गत प्राप्तियाँ, विगत वर्ष की तुलना में ₹ 100 करोड़ भविष्य निधि में कम प्राप्तियों के कारण घट गई थीं।
- गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान आरक्षित निधियाँ ₹ 496 करोड़ बढ़ गईं। यद्यपि, जमा व अग्रिम में ₹ 133 करोड़ की कमी हुई। आन्तरिक ऋण के परिशोधन हेतु शोधन निधि में राज्य सरकार का निवेश (₹ 25 करोड़) एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 में निर्धारित मानकीय आँकड़ों (गत वर्ष की समाप्ति पर खुले बाजार ऋणों के बकाए का तीन प्रतिशत अर्थात् ₹ 217 करोड़) से कम था, परिणामस्वरूप आरक्षित निधियों के अन्तर्गत प्राप्तियों में ₹ 192 करोड़ की कमी हुई।
- उचन्त एवं विविध प्राप्तियाँ (₹ 897 करोड़) वर्ष के दौरान मुख्यतः चेकों एवं देयकों हेतु उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत हुई वृद्धि के कारण, ₹ 906 करोड़ (7.91 प्रतिशत) से बढ़ गईं। यह उचन्त शीर्ष, चेकों के जारी करते समय जमा दिखाया जाता है तथा चेकों के नकदीकरण के बारे में बैंक से सूचना की प्राप्ति पर उसे समाशोधित किया जाता है।

1.2.2 राज्य के बजट से इतर राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को अन्तरित निधियाँ

केन्द्र सरकार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण माने गये विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों² को सीधे प्रचुर मात्रा में निधियाँ अन्तरित की जाती हैं। ये निधियाँ, राज्य बजट/राज्य कोषागार तन्त्र के माध्यम से नहीं आती हैं। अतः राज्य की प्राप्तियाँ एवं व्यय तथा इसके साथ-साथ उनसे व्युत्पन्न अन्य राजकोषीय आँकड़े/मापदण्ड अधो-आंकलित रहे। समुच्चय संसाधनों की उपलब्धता पर एक निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करने के लिए, राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे तौर पर अन्तरित निधियाँ परिशिष्ट-1.5 में दर्शायी गयी हैं। बृहद कार्यक्रमों/योजनाओं को अन्तरित महत्वपूर्ण धनराशि तालिका 1.2 में दर्शायी गई है।

² परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

तालिका-1.2

राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को अन्तरित निधियों की महत्वपूर्ण धनराशियाँ

(₹ करोड़ में)


क्रम सं.	योजना के कार्यक्रम का नाम	क्रियान्वयन अभिकरण का नाम	वर्ष 2011-12 के दौरान भारत सरकार द्वारा अवमुक्त कुल निधियाँ
1.	आजीविका	डी आर डी ए और पी एम यू	22.12
2.	प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास योजना	राज्य साक्षरता अभियान	28.47
3.	स्वायत्त संस्थान एवं व्यावसायिक निकाय	वाडिया हिमालयन भू-विज्ञान संस्थान	46.96
4.	टी एच डी सी इण्डिया लिमिटेड में इक्विटी बढ़ाना	टी एच डी सी लिमिटेड	45.00
5.	वन एवं वन्य प्राणी संस्थाओं को सहायता अनुदान	एफ आर आई और डब्ल्यू आई आई	116.07
6.	आई आई टी डी एच ई(ओ एस सी समेत)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	120.00
7.	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	डी आर डी ए	373.51
8.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	डी एम	28.00
9.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम	एस डब्ल्यू एस एम उत्तराखण्ड	75.57
10.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति	131.18
11.	विशेष श्रेणी राज्यों (उत्तर पूर्व के अलावा) के लिए पैकेज	सिडकुल	75.51
12.	इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलोपमेन्ट फॉर डेस्टिनेशनस् एन्ड सर्किट्स	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद	75.53
13.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रा मा शि अ)	उत्तराखण्ड सब के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद	34.07
14.	जल स्रोत अनुसंधान और विकास	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	8.57
15.	ग्रामीण आवास (इ आ ओ)	डी आर डी ए	58.29
16.	सर्व शिक्षा अभियान	उत्तराखण्ड सब के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद	208.92
17.	पी पी पी के द्वारा 1396 आई टी आईयों का उच्चिकरण	आई टी आई की आई एम सी समिति	35.00
18.	औषधि निर्मात्री प्रयोगशालाओं का उच्चिकरण	आई एम पी सी लिमिटेड	24.00
योग			1,506.77


स्रोत: कंट्रोलर जनरल ऑफ एकाउन्ट्स वेबसाइट का सेण्ट्रल प्लान योजना मॉनिटरिंग सिस्टम

तालिका 1.2 सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के अधीन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के विविध मंत्रालयों से उत्तराखण्ड में विभिन्न अभिकरणों द्वारा सीधे प्राप्त महत्वपूर्ण राशियों की निधियों को दर्शाती हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान इन निधियों का अधिकांश अंश प्राप्त करने वाले कार्यक्रम (i) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना- ₹ 373.51 करोड़ (18.31 प्रतिशत), (ii) सर्व शिक्षा अभियान- ₹ 208.92 करोड़ (10.24 प्रतिशत), (iii) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ₹ 131.18 करोड़ (6.43 प्रतिशत), (iv) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम ₹ 75.57 करोड़ (3.70 प्रतिशत), (v) वन व वन्य प्राणी संस्थाओं को सहायता अनुदान ₹ 116.07 करोड़ (5.69 प्रतिशत), (vi) विशेष श्रेणी राज्यों (उत्तर पूर्व के अलावा) ₹ 75.51 करोड़ (3.70 प्रतिशत) तथा (vii) इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलोपमेंट फॉर डेस्टिनेशनस् एन्ड सर्किट्स ₹ 75.53 करोड़ (3.70 प्रतिशत) थे। इस प्रकार, वर्ष 2011-12 के दौरान भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को ₹ 2040 करोड़ (परिशिष्ट-1.5) के अन्तरण से, राज्य संसाधनों की कुल उपलब्धता ₹ 35,785 करोड़ से बढ़कर ₹ 37,825 करोड़ हो गयी। उपरोक्त से स्पष्ट है कि भारत सरकार द्वारा सीधे क्रियान्वयन अभिकरणों को स्थानान्तरित निधियों के अनुश्रवण हेतु कोई एकल अभिकरण उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार तत्काल रूप से कोई आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिससे ज्ञात हो कि किसी विशेष वर्ष में चिन्हित योजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं जिन्हें राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है पर वास्तविक रूप से व्यय की गयी निधि कितनी है।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे की विवरणी-11, सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करती है। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि की राजस्व प्राप्तियों के संघटक और प्रवृत्तियों को परिशिष्ट-1.3 में प्रस्तुत किया गया है तथा क्रमशः चार्ट 1.4 तथा 1.5 में भी चित्रित किया गया है।





राजस्व प्राप्तियों ने 2007-08 से 2011-12 की अवधि में निरंतर वृद्धि दर्शाई। यह 13.32 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ वर्ष 2007-08 में ₹ 7,891 करोड़ से वर्ष 2011-12 में बढ़कर ₹ 13,691 करोड़ हो गयी।

केन्द्रीय कर अन्तरणों एवं सहायता अनुदान के समुच्चय का कुल राजस्व में 50.68 प्रतिशत योगदान रहा जबकि वर्ष 2011-12 के दौरान 49.32 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के निजी कर एवं करेत्तर राजस्व से हुईं।

औसतन, वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि में राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 44.77 प्रतिशत योगदान स्वयं राज्य की निजी कर प्राप्तियों का रहा (चार्ट 1.5)। इससे भारत सरकार से सहायता अनुदान पर राज्य की निरन्तर निर्भरता दर्शित हुई, क्योंकि राज्य अपने कर-आधार को विस्तृत करने में अक्षम रहा।

स रा घा उ के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को निम्न तालिका-1.3 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-1.3:

स रा घा उ के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व प्राप्तियाँ (रा प्रा) (₹ करोड़ में)	7,891	8,635	9,486	11,608	13,691
रा प्रा की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.03	9.43	9.86	22.37	17.94
रा प्रा / स रा घा उ (प्रतिशत)	17.21	15.41	13.32	14.08	14.38
उत्प्लावकता अनुपात³					
स रा घा उ के संदर्भ में राजस्व की उत्प्लावकता	0.29	0.43	0.37	1.36	1.16
स रा घा उ के संदर्भ में राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता	0.37	0.50	0.64	1.45	1.78

³ परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 की अवधि की राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर ने उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दर्शाई। वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान वृद्धि दर लगभग स्थिर थी, लेकिन वर्ष 2010-11 में पुनः 22.37 प्रतिशत बढ़ गयी। वर्ष 2011-12 की वृद्धि दर में 4.43 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई और 17.94 प्रतिशत पर रही। स रा घा उ के संदर्भ में राज्य के निजी करों की उत्प्लावकता अनुपात वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान एक से भी नीचे थी और 2010-11 में वृद्धि दर्शायी। तथापि पिछले वर्ष की तुलना में, चालू वर्ष में, स रा घा उमें वृद्धि के सापेक्ष वृद्धित कर राजस्व उगाही दर्शाती हुई राज्य के निजी कर पुनः उच्चतर उत्प्लावकता, दिखाई। वर्ष 2011-12 में, स रा घा उ में प्रत्येक एक प्रतिशत के वृद्धि के लिए राज्य के निजी कर 1.78 प्रतिशत पर वृद्धित हुए।

1.3.1 राज्य के अपने संसाधन

चूँकि केन्द्रीय करों तथा सहायता अनुदान में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की संस्तुतियों, केन्द्रीय कर प्राप्तियों के संग्रहण तथा आयोजनागत योजनाओं आदि हेतु प्राप्त केन्द्रीय सहायता के आधार पर किया जाता है, अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के निष्पादन का निर्धारण इसके अपने स्रोतों के संदर्भ में किया जाना चाहिए जिसमें निजी कर एवं करेत्तर स्रोतों से प्राप्त राजस्व समाविष्ट हैं।

कर राजस्व

कर राजस्व वर्ष 2010-11 के ₹ 4,405 करोड़ से 27.49 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 5,616 करोड़ हो गया। व्यापार, बिक्री आदि से प्राप्त कर ने न केवल कर राजस्व के एक बड़े अंश (65 प्रतिशत) के रूप में योगदान दिया अपितु गत वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत की वृद्धि भी दर्ज की।

करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व (एन टी आर) वर्ष 2008-09 में थोड़ा सा सुधार दिखाने के उपरान्त, वर्ष 2009-10 में 10 प्रतिशत कम हुआ। तथापि वर्ष 2010-11 के दौरान एन टी आर पुनः 7.28 प्रतिशत मूल्य वर्द्धित हुआ। वर्ष 2011-12 के दौरान, यह, महत्वपूर्ण रूप से 67.56 प्रतिशत बढ़ा। करेत्तर राजस्व ₹ 1,136 करोड़ पर राजस्व प्राप्तियों का 8.30 प्रतिशत था।

एन टी आर में महत्वपूर्ण बढ़त पूर्ववर्ती सम्मिश्र राज्य उत्तर प्रदेश के पेंशन देयताओं का, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के मध्य प्रभाजन के कारण था। परिणामतः उत्तराखण्ड राज्य को, उत्तर प्रदेश से ₹ 400 करोड़ प्रभाजन के रूप में प्राप्त हुए।

वर्ष 2011-12 के दौरान करेत्तर राजस्व के प्रमुख अंशदाताओं में वानिकी एवं वन्य जीव (₹ 234 करोड़), अलौह एवं धातुकर्म उद्योग (₹ 113 करोड़) एवं ब्याज प्राप्तियाँ (₹ 51 करोड़) सम्मिलित थे। वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 की अवधि में एन टी आर में ब्याज प्राप्तियों का औसत योगदान 7.38 प्रतिशत था।

तालिका-1.4: वास्तविक आँकड़ों के सापेक्ष अनुमान/निर्धारण की तुलना

(₹ करोड़ में)

मुख्य राजकोषीय परिवर्तियाँ	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किया गया निर्धारण	एफ सी पी में राज्य सरकार द्वारा किया गया निर्धारण	प्रतिशत (एफ सी पी बनाम ते वि आ के निर्धारण)	वास्तविक आँकड़े	प्रतिशत (वास्तविक बनाम एफ सी पी मुख्यानुमान)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राज्य का स्व राजस्व	4,848	4,760	98	5,616	118
करेत्तर राजस्व	893	1,647	184	1,136	69

स्रोत: तेरहवें वित्त आयोग की प्रतिवेदन, वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन (उत्तराखण्ड शासन) व वित्त लेखे

जैसा कि तालिका 1.4 में दर्शाया गया है तेरहवें वित्त आयोग (ते वि आ) द्वारा मुख्य अनुमानों की तुलना में राज्य के अपने संसाधन से यह प्रकट हुआ कि वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 5,616 करोड़ का कर राजस्व, वर्ष हेतु ते वि आ द्वारा किये गये ₹ 4,848 करोड़ के मानकीय निर्धारण को पार कर गया।

राज्य के अपने कर राजस्व वर्ष के दौरान भी राजकोषीय सुधार पथ (एफ सी पी) में राज्य सरकार द्वारा परिलक्षित लक्ष्य ₹ 856 करोड़ बढ़े और मध्यावधि राजकोषीय पथ विवरण (एम टी एफ पी एस) में निर्धारित लक्ष्य (₹ 5,582 करोड़) के लगभग बराबर रहे।

₹ 1136 करोड़ पर एन टी आर भी ते वि आ के मुख्य अनुमानों की तुलना में ₹ 243 करोड़ अधिक था। यद्यपि, एन टी आर के अधीन वास्तविक प्राप्त एफ सी पी की तुलना में ₹ 511 करोड़ कम थी लेकिन एम टी एफ पी एस (₹ 1,044 करोड़) की तुलना में 92 करोड़ अधिक थी।

केन्द्रीय कर अन्तरण

संघीय करों तथा शुल्कों के राज्यांश के रूप की प्राप्ति, 2010-11 के ₹ 2,460 करोड़ से 16.50 प्रतिशत बढ़कर 2011-12 में ₹ 2,866 करोड़ हो गयी थी। केन्द्रीय अन्तरण में समय वृद्धि (₹ 406 करोड़), मुख्यतः निगम कर (₹ 167 करोड़), सेवा कर (₹ 97 करोड़), सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर कर (₹ 76 करोड़) और निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹ 65 करोड़) पर हुई वृद्धि के कारण थी।

सहायता अनुदान


वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 (चार्ट 1.5) की अवधि में भारत सरकार से सहायता अनुदान ने वृद्धि दर्शायी थी। यह वर्ष 2007-08 में ₹ 3,056 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 4,073 करोड़ हो गयी। चालू वर्ष के दौरान नाममात्र वृद्धि (₹ 9 करोड़) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के योजनागत स्कीमों (₹ 587 करोड़) और केन्द्र प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदानों (₹ 106 करोड़) में वृद्धि के कारण थी, जो विभिन्न आयोजनेतर अनुदानों (₹ 673 करोड़) और केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदानों (₹ 11 करोड़) से प्रतिसंतुलित हुई।

1.4 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रमुख व्यय दायित्व राज्य सरकार के सुपुर्द होते हैं। राजकोषीय दायित्व विधायन के ढांचे के अन्तर्गत, घाटे अथवा उधार द्वारा वित्तपोषित लोक व्यय को बढ़ाने में बजटीय अवरोध होते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चालू राजकोषीय सुधार और सुदृढीकरण प्रक्रिया विशेषकर विकासपरक और सामाजिक क्षेत्रों की ओर उन्मुख व्यय की कीमत पर न हो। व्यय के आवंटन के विश्लेषण पर चर्चा नीचे की गई है:

1.4.1 व्यय के संघटक एवं वृद्धि

चार्ट 1.6 पाँच वर्षों (2007-08 से 2011-12) की अवधि में कुल व्यय के संघटकों को दर्शाता है तथा इनके संघटकों को 'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'क्रियाकलापबद्ध व्यय' दोनों के सन्दर्भ में क्रमशः चार्ट 1.7 एवं 1.8 में चित्रित किया गया है।





राज्य का कुल व्यय (टी ई): वर्ष 2007-12 के दौरान 13.48 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत दर पर बढ़ा। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान कुल व्यय में ₹ 2,003 करोड़ (14.80 प्रतिशत) की बढ़ोतरी राजस्व व्यय व पूँजीगत व्यय में क्रमशः ₹ 1,354 करोड़ व ₹ 462 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई। ऋण व अग्रिमों का संवितरण भी ₹ 187 करोड़ बढ़ा।

राजस्व व्यय (आर ई): चालू वर्ष के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि (₹ 1,354 करोड़) (i) सामान्य सेवाओं (₹ 295 करोड़), (ii) सामाजिक सेवाओं (₹ 850 करोड़), (iii) आर्थिक सेवाओं (₹ 238 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई जो कि सहायता अनुदान एवं अशंदान (₹ 29 करोड़) में कमी से प्रतिसंतुलित हुई।

पूँजीगत व्यय: पूँजीगत व्यय में वर्ष के दौरान वृद्धि (₹ 462 करोड़) (i) सामाजिक सेवाओं (₹ 134 करोड़) तथा (ii) आर्थिक सेवाओं (₹ 356 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई। जो सामान्य सेवाओं में (₹ 28 करोड़) कटौती से प्रतिसंतुलित हुई। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में इसने वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 के दौरान विचलन-शील प्रवृत्ति दर्शाई जो वर्ष 2007-08 में 23.03 प्रतिशत तथा वर्ष 2011-12 में 14.91 प्रतिशत था। पूँजीगत व्यय में 2008-09 और 2009-10 में कमी हुई लेकिन पिछले दो वर्षों में बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाई और चालू वर्ष में ₹ 2,317 करोड़ पर रहा। तथापि वास्तविक व्यय, राज्य सरकार द्वारा उनके एफ सी पी (₹ 3,095 करोड़) तथा एम टी एफ पी एस (₹ 2,524 करोड़) में परिकल्पित लक्ष्य (₹ 3,095 करोड़) के नीचे था।

व्यय के इन घटकों का सापेक्ष अंश हाल ही (2009-12) में अपरिवर्तित रहा। गैर विकासात्मक समझे जाने वाले ब्याज भुगतानों सहित सामान्य सेवाओं पर व्यय का अंश वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 के दौरान लगभग स्थिर रहा। सामाजिक सेवाओं का व्यय वर्ष 2010-11 के 40 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर वर्ष 2011-12 में 41 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सेवाओं ने वर्ष 2007-08 से वर्ष 2010-11 की अवधि में घटने की प्रवृत्ति दर्शाई और 2011-12 में लगभग अपरिवर्तित बना रहा।





राज्य का राजस्व व्यय, 15.07 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से 2007-08 से 2011-12 के दौरान 78.84 प्रतिशत बढ़कर ₹ 7,255 करोड़ से ₹ 12,975 करोड़ हो गया।

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान राज्य का आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (एन पी आर ई) 96.53 प्रतिशत बढ़ गया। चालू वर्ष के दौरान, एन पी आर ई में वृद्धि (₹ 1,505 करोड़) मुख्यतः वेतन (₹ 507 करोड़), ब्याज अदायगियों, (₹ 289 करोड़) और सहायतानुदानों (₹ 176 करोड़) में वृद्धि के कारण थी।

राज्य के राजस्व व्यय में आयोजनागत राजस्व व्यय (पी आर ई) के अंश में 2007-09 के दौरान लगभग स्थिरता बनी रही, लेकिन वर्ष 2009-10 से अनुगामी वर्षों में हासोन्मुखी प्रवृत्ति दर्शाई। इसकी अपनी वृद्धि दर भी चालू वर्ष में कमीमान (6.11 प्रतिशत) रही। चालू वर्ष के दौरान पी आर ई में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 151 करोड़ की कमी मुख्यतः शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति (₹ 104 करोड़), जलापूर्ति एवं स्वच्छता (₹ 97 करोड़) और ग्राम्य विकास (₹ 123 करोड़) के अन्तर्गत व्यय के कारण थी। यह सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार (₹ 89 करोड़), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 44 करोड़) तथा कृषि (₹ 58 करोड़) के अन्तर्गत व्यय में वृद्धि से भागीय रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

पुनः वर्ष 2011-12 की अवधि के लिए नीचे तालिका 1.5 वास्तविक एन पी आर ई का राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों पर किये गये अनुमानों के संदर्भ में ब्यौरा देती हैं।

तालिका-1.5

वर्ष 2011-12 के अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

आयोजनेत्तर व्यय (एन पी आर ई)	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारण	राज्य सरकार द्वारा निर्धारण		
		एफ सी पी	एम टी एफ पी एस	वास्तविक
	7,920	12,803	13,153	10,654

स्रोत: तेरहवें वित्त आयोग की प्रतिवेदन, वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन (उत्तराखण्ड शासन) व वित्त लेखे

चालू वर्ष के दौरान एन पी आर ई, (₹ 10,654 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग (₹ 7,920 करोड़) द्वारा निर्धारित मानकीय निर्धारण से ₹ 2,734 करोड़ (34.52 प्रतिशत) अधिक हो गया किन्तु यह क्रमशः राजकोषीय सुधार पथ (₹ 12,803 करोड़) और मध्यकालिक राजकोषीय नीति (₹ 13,153 करोड़) में राज्य सरकार द्वारा अनुमानित प्रक्षेपण से कम था।

1.4.2 वचनबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन और पारिश्रमिक पर व्यय, पेंशन और उपदान शामिल होते हैं। तालिका 1.6 और चार्ट 1.9 वर्ष 2007-12 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करते हैं।


तालिका-1.6:

वचनबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

वचनबद्ध व्यय के घटक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12		
					बी ई	वास्तविक	भिन्नता का प्रतिशत
वेतन और पारिश्रमिक जिसमें	2,232	3,045 (35)	4,388 (46)	4,721 (41)	5,308	5,244	(-) 1.22
आयोजनेत्तर शीर्ष	2,020	2,728	4,114	4,464		4,971	
योजनागत शीर्ष*	212	317	274	257		273	
ब्याज भुगतान	1,096	1,188 (14)	1,338(14)	1,480 (13)	1,812	1,769	(-) 2.37
पेंशन पर व्यय	623	828 (10)	1,047(11)	1,142 (10)	1,392	1,135	(-) 18.46
उपदान	...	42 (0.50)	42(0.44)	44	351	220	(-) 37.32
कुल वचनबद्ध व्यय	3,951	5,103	6,815	7,387	8,863	8,368	(-) 5.59
अन्य घटक	1,470	1,117	1,543	1,762	2,282	2,286	--
कुल एन पी आर ई	5,421	6,220	8,358	9,149	11,145	10,654	--
कुल राजस्व व्यय	7,255	8,394	10,657	11,621	14,326	12,975	--
राजस्व प्राप्तियाँ	7,891	8,635	9,486	11,608	14,635	13,691	--

कोष्ठक के आँकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत को इंगित करते हैं।



*केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वेतन एवं पारिश्रमिक भुगतान भी आयोजनागत शीर्ष में शामिल हैं।

2007-08 में वचनबद्ध व्यय जो राजस्व प्राप्तियों के 50.07 प्रतिशत था, विद्यमान वर्ष के दौरान 61.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य सरकार को चाहिए कि वचनबद्ध व्यय को सन्निहित करने हेतु कदम उठाये क्योंकि विकासपरक कार्यकलापों के लिए व्यय करने हेतु सरकार के लिए यह कोड़ गुंजाइश नहीं छोड़ता है।

वेतन एवं पारिश्रमिक

वेतन पर व्यय, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के कारण वर्ष 2008-09 में ₹ 3,045 करोड़ से 44 प्रतिशत (₹ 1,343 करोड़) बढ़कर वर्ष 2009-10 में ₹ 4,388 करोड़ हो गया था। यद्यपि वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान वेतन पर व्यय क्रमशः 7.59 प्रतिशत और 11.08 प्रतिशत ही बढ़ा। इन दो वर्षों में वेतन व्यय तेरहवें वित्त आयोग के अनुमानों से अधिक था। तथापि चालू वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य (₹ 5,670 करोड़) से एफ सी पी में (₹ 5,670 करोड़) तथा एम टी एफ पी एस (₹ 5,410 करोड़) में काफी नीचे थे।

तेरहवें वित्त आयोग के मानकों में नियत है कि वेतन मद के अन्तर्गत व्यय, राजस्व व्यय के ब्याज भुगतानों व पेंशन का शुद्ध 35 प्रतिशत होना चाहिए, जबकि चालू वर्ष में वेतन पर वास्तविक व्यय 50 प्रतिशत था।

पेंशन भुगतान

राज्य सरकार ने पेंशन दायित्वों का अनुमान ऐतिहासिक वृद्धि दर के आधार पर लगाया था न कि वास्तविकता के आधार पर। वर्ष 2011-12 में पेंशन पर व्यय ₹ 1,135 करोड़ था, जो राजस्व प्राप्तियों का 8.29 प्रतिशत था। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान पेंशन भुगतान लगभग स्थिर बने रहे। चालू वर्ष के

दौरान पेंशन भुगतान, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा, चालू वर्ष के लिए निर्धारित मानक (₹ 1,208 करोड़) से अत्यधिक कम था। (ते वि आ के प्रतिवेदन का अनुलग्नक 7.7)।

राज्य सरकार ने भविष्य में बढ़ते पेंशन दायित्व से पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए 01 अक्टूबर 2005 या उसके बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना भी लागू की है।

ब्याज भुगतान

जैसा कि तालिका 1.6 में दर्शित है, वर्ष 2007-12 की अवधि में ब्याज भुगतान पिछले ऋणों के कारण 61.41 प्रतिशत बढ़ गया था। वर्ष 2011-12 के दौरान ब्याज भुगतान में आन्तरिक ऋणों⁴ पर ब्याज (₹ 1,326 करोड़), लघु बचत, भविष्य निधि आदि (₹ 369 करोड़), अन्य देयताएँ (₹ 36 करोड़) और भारत सरकार से लिए हुए ऋण एवं अग्रिम (₹ 38 करोड़) शामिल थे। चालू वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 1,769 करोड़) राजस्व प्राप्तियों का 12.93 प्रतिशत था, जो कि चालू वर्ष के लिए राज्य सरकार के राजकोषीय सुधार पथ द्वारा निर्धारित लक्ष्य ₹ 1,812 करोड़ से निम्न थे और तेरहवें वित्त आयोग द्वारा चालू वर्ष हेतु निर्धारित मानक (₹ 1,599 करोड़) से ₹ 170 करोड़ अधिक था। यद्यपि, राज्य की एम टी एफ पी एस में ब्याज भुगतान लक्ष्य ₹ 1,415 करोड़ था।

1.4.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

पिछले वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान द्वारा प्रदत्त सहायता राशि तालिका-1.7 में प्रस्तुत है।

तालिका-1.7:- स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
					ब आ	वास्तविक
शैक्षिक संस्थान (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि)	301.42	198.99	267.99	488.49	473.19	403.45
नगर निगम तथा नगरपालिकाएँ	110.93	106.20	122.47	154.72	202.78	175.76
जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज संस्थाएँ	198.85	168.57	202.25	252.96	372.28	203.04
विकास अभिकरण	514.53	588.44	571.47	526.00	625.04	409.35
चिकित्सालय तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ	28.69	38.89	44.52	71.23	122.49	86.98
ऊर्जा (उत्तराखण्ड विद्युत निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उत्तराखण्ड विद्युत निगम)	134.52	69.79	24.39	7.50	10.05	6.32
कृषि शोध एवं शैक्षिक संस्थान भूमि सुधार करने हेतु भू-अभिलेखों का अद्यतनीकरण और वन्यजीव संरक्षण	153.67	217.73	98.62	151.15	226.93	205.54
सहकारिता	17.16	3.49	13.22	9.56	7.25	7.30

⁴ परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

पशुपालन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य पालन	14.53	31.51	14.79	13.16	8.65	8.65
सचिवालय आर्थिक सेवाएँ एवं पर्यटन	59.21	27.51	11.43	18.43	59.50	29.34
सामाजिक सुरक्षा एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	108.73	122.77	133.65	97.46	231.05	211.10
सरकारी कम्पनियाँ/सांविधिक निगम	-	-	13.41	--	--	--
अन्य संस्थाएं	39.34	85.46	357.83	131.61	71.66	31.12
योग	1,681.58	1,659.35	1,876.04	1,922.27	2,410.87	1,777.95
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	23.18	19.77	17.60	16.54	16.83	13.70

स्रोत: वी एल सी प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को प्रदत्त कुल सहायता वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 की अवधि में घटती बढ़ती वृद्धि दर्शाई। इन निकायों को सहायता चालू वर्ष के दौरान ₹ 144 करोड़ (7.51 प्रतिशत) से कम रही। विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थाओं, विकास अभिकरणों को प्रदत्त सहायता राशि कुल वित्तीय सहायता का 46 प्रतिशत थी।

इस वर्ष के दौरान सहायता में कमी, मुख्यतः शैक्षिक संस्थाओं (₹ 85 करोड़) और विकास अभिकरणों (₹ 117 करोड़) के अन्तर्गत थी जो कृषि (₹ 54 करोड़) और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण (₹ 114 करोड़) के लिए दी गयी सहायता में वृद्धि के कारण प्रतिसंतुलित हुई।

स्थानीय निकाय: परिचय, कार्यों का अवक्रमण, निधि और लेखाकरण, लेखापरीक्षा कार्य और प्रतिवेदन कार्य की व्यवस्था

परिचय:

उत्तराखण्ड राज्य नवंबर 2000 में अस्तित्व में आया। प्रधान महालेखाकार (ले एवं हक) उत्तराखण्ड, देहरादून के प्रशासनिक नियंत्रण में वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून का कार्यालय 2004 में स्थापित हुआ। भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग में सन् 2012 में, लेखा प्रकार्यों के पुनःसंरचना के पश्चात, वरिष्ठ उप महालेखाकार (एल बी ए और ए) उत्तराखण्ड के कार्यालय को, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून के सामाजिक एवं एल बी सेक्टर के साथ मिला दिया गया है।

उत्तराखण्ड में पी आर आई की 7,649 लेखापरीक्षित इकाईयाँ हैं जिनकी तीन श्रेणियाँ हैं-ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत तथा यू एल बी की 63 लेखापरीक्षित इकाईयाँ हैं, जैसे - नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, वरिष्ठ उप महालेखाकार/सामाजिक और एल बी के लेखा अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं।

पी आर आई और यू एल बी के कार्य

73वें संविधान संशोधन 1993 में वर्णित और 11वीं अनुसूची (अनुच्छेद 243 जी) में सूचीबद्ध कार्यों के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं के 29 कार्य हैं और 74वें संविधान संशोधन 1993 और 12वीं अनुसूची में (अनुच्छेद 243 डब्ल्यू) सूचीबद्ध अनुसार यू एल बी के लिए 18 कार्य हैं। उपरोक्त परिकल्पित कार्यों में से 2006 में उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य के पंचायतीराज संस्थाओं के तीन सोपानों को केवल 14 कार्य तथा नगरीय स्थानीय संस्थाओं को नौ कार्य हस्तान्तरित किए।

कार्यकर्ताएँ

पी आर आई और यू एल बी को प्रदत्त प्रकार्यों से संबंधित कार्यकर्ताओं को अभी तक उत्तराखण्ड के पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय संस्थाओं के तीनों सोपानों को हस्तान्तरित नहीं किया गया था। तथापि, इन कार्यों से संबंधित सरकारी आदेशों को पहले ही, राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा निर्गमित किया जा चुका है।

लेखाकरण, लेखापरीक्षा कार्य और प्रतिवेदन कार्य की व्यवस्था

स्थानीय निकायों द्वारा बजट एवं लेखाओं के रखरखाव तैयार करने के लिए, पूरे भारत में एकरूपेण, बजट तथा लेखाकरण फार्मेट भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि म ले प) द्वारा निर्धारित किया गया है। वर्ष 2005 में राज्य सरकार ने इन सभी फार्मेटों को पी आर आई-ओं तथा यू एल बी-यों के लिए अपना लिया है।

पी आर आई-यों तथा यू एल बी-यों जो मुख्यतः संघ या राज्य सरकारों के समेकित निधियों से वित्तीयित हैं, की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 जहाँ भी लागू हो, की धारा 14 के अन्तर्गत, नि म ले प द्वारा संपादित है। राज्य सरकार ने भी पी आर आई-यों तथा यू एल बी-यों की लेखापरीक्षा, नि म ले प (क श से) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अधीन तकनीकी निदर्शन व आधार व्यवस्थाओं के अन्तर्गत सी ए जी को सौंपा है। तदनुसार, जो पी आर आई-यां तथा यू एल बी यां नि म ले प के (क श से) अधिनियम 1971 की धारा 14 के कार्यक्षेत्र में नहीं आते उनकी लेखापरीक्षा, सी ए जी (क श से) अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के अधीन ली जाती है। इस प्रकार की लेखापरीक्षा सम्पादन से उत्पन्न लेखापरीक्षा निष्कर्षों को लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के नियम 155 के अधीन वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन के रूप में राज्य सरकार को सूचित की जाती है।

1.5 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतया उसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती हैं। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूलतः तीन पहलुओं को समाहित करती है यथा, व्यय की पर्याप्तता (जैसे लोक सेवार्य उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रावधान); किये गये व्यय की दक्षता और प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय परिणाम सम्बन्धों का निर्धारण)।

1.5.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

तालिका 1.8 चालू वर्ष के दौरान विकासपरक व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय और पूँजीगत व्यय के सापेक्ष राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को विश्लेषित करती है

तालिका-1.8

2007-08 और 2011-12 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	स व्य/स रा घ उ	वि व्य #/स व्य	सा क्षे व्य/स व्य	पू व्य/स व्य
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2007-08	21.16	67.21	33.46	23.03
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2011-12	16.32	68.26	41.11	14.91

स व्य : सकल व्यय, वि व्य : विकासपरक व्यय, सा क्षे व्य : सामाजिक क्षेत्र में व्यय
विकासपरक व्यय में विकासपरक राजस्व व्यय, विकासपरक पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।
स्रोत: (1) स रा घ उ के लिए सूचना राज्य के अर्थ एवं संख्या निदेशालय से एकत्र की गयी थी। (परिशिष्ट-1.2 भाग अ)

राजकोषीय प्राथमिकता राज्य द्वारा श्रेणी विशेष के व्यय को दी गई प्राथमिकता को इंगित करती है। 2007-08 के सापेक्ष 2011-12 में व्यय पद्धति की तुलनात्मक अध्ययन पर पाया गया कि:

- सरकार का सकल व्यय स रा घ उ के अनुपात के रूप में 2007-08 से 2011-12 में निम्नतर था।
- सकल व्यय के अनुपात के रूप में विकासपरक व्यय (वि व्य) वर्ष के दौरान लगभग 1.05 प्रतिशत बढ़ गया है।
- सकल व्यय के अनुपात में सामाजिक क्षेत्र व्यय लगभग आठ प्रतिशत बढ़ा।
- यद्यपि पूँजीगत व्यय चालू वर्ष के दौरान 25 प्रतिशत बढ़ा, लेकिन सकल व्यय (स व्य) में पूँजीगत व्यय का अनुपात लगभग आठ प्रतिशत तक कम हुआ।

1.5.2 व्यय करने की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास मर्दों पर लोक व्यय के महत्व के परिप्रेक्ष्य में, राज्य सरकार के लिए उचित व्यय औचित्यपूर्ण कदम उठाना तथा कोर पब्लिक एवं मेरि गुड्स⁵ के प्रावधान पर जोर देना महत्वपूर्ण हैं। विकासपरक व्यय⁶ हेतु आवंटन में सुधार के अतिरिक्त, आसन्न वर्षों में विशेषकर ऋण सेवाओं में गिरावट के कारण उत्पन्न राजकोषीय अन्तराल के मद्देनजर, किये हुए व्यय की दक्षता पूँजीगत व्यय के कुल व्यय से अनुपात (और/अथवा स रा घ उ) एवं विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रखरखाव पर होने वाले राजस्व व्यय के समानुपात से भी परिलक्षित होता है। कुल व्यय (और/अथवा स रा घ उ) में इन घटकों का अनुपात जितना उच्चतर होगा, उतना ही व्यय की गुणवत्ता को बेहतर करेगा। जहाँ, एक ओर तालिका 1.9 चालू वर्ष व गत वर्ष के दौरान बजटीय आवंटन की तुलना में राज्य के समग्र व्यय से सम्बन्धित विकास व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाती है, वहीं तालिका 1.10, चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के रखरखाव पर किए गये पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के घटकों का विवरण प्रस्तुत करती है।

⁵ परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

⁶ परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

कुल व्यय में विकासपरक राजस्व व्यय के अंश ने वर्ष 2007-12 की अवधि के दौरान 50 प्रतिशत की औसत दर पर अन्तर्वर्षीय विविधता दर्शायी। विकासपरक पूँजीगत व्यय के अंश ने भी अन्तर्वर्षीय विविधता प्रदर्शित की लेकिन 2010-11 की तुलना में 2011-12 के दौरान थोड़ा बढ़ गया। तथापि, वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 की अवधि में समग्र विकासपरक व्यय में 63 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई।

तालिका-1.9
विकास परक व्यय

(₹ करोड़ में)

विकासपरक व्यय के घटक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
					बी ई	वास्तविक
विकासपरक व्यय (अ से स)	6,521 (67)	6,973 (66)	8,205 (66)	8,842 (65)	11,957 (67)	10,607 (68)
अ. विकासपरक राजस्व व्यय	4,290 (44)	5,015 (48)	6,638 (54)	7,033 (52)	8,799 (49)	8,121 (52)
ब. विकासपरक पूँजीगत व्यय	2,034 (21)	1,842 (17)	1,538 (12)	1,750 (13)	2850 (16)	2,240 (14)
स. विकासपरक ऋण एवं अग्रिम	197 (2)	116 (1)	29 (0.23)	59 (0.44)	308 (2)	246 (2)

कोष्ठक के आँकड़े समग्र व्यय के प्रतिशत को इंगित करते हैं।

तालिका-1.10
चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अवसंरचना	2010-11			2011-12		
	कु व्य पर पूँ व्य का अनुपात	रा व्य में अंश		कु व्य पर पूँ व्य का अनुपात	रा व्य में अंश	
		वे एवं पा	परि एवं मर		वे एवं पा	परि एवं मर
सामाजिक सेवाएँ (सा से) मुख्य घटकों पर व्यय						
सामान्य शिक्षा	0.70	19.07	0.006	0.73	19.99	0.003
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.54	3.89	0.036	0.60	3.91	0.027
जलापूर्ति, स्वच्छता और आवासीय एवं शहरी विकास	0.20	0.048	.013	0.76	0.04	0.010
सा से पर कुल व्यय	1.74	24.22	0.07	2.37	25.00	0.06
आर्थिक सेवाएँ (आ से) मुख्य घटकों पर व्यय						
कृषि एवं संबद्ध क्रिया कलाप	0.14	3.54	0.16	1.67	3.37	0.13
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	2.56	1.66	0.29	2.93	1.54	0.19
विद्युत एवं ऊर्जा	0.41	-	-	0.27	-	-
परिवहन	6.94	0.10	0.006	5.52	0.10	0.55
आ से पर कुल व्यय	11.19	6.71	0.46	12.03	6.41	0.89
सा से + आ से पर कुल व्यय	12.93	30.93	0.53	14.41	31.41	0.94

कु व्य: कुल व्यय, पूँ व्य: पूँजीगत व्यय, रा व्य: राजस्व व्यय, वे एवं पा: वेतन एवं पारिश्रमिक, परि एवं मर: परिचालन एवं मरम्मत।

यद्यपि, पूँजीगत व्यय के प्राथमिकीकरण से सम्बन्धित कोई विशेष मापदण्ड एफ आर बी एम अधिनियम में निर्धारित नहीं किये गये हैं, लेकिन राज्य सरकार ने वर्ष 2011-12 के बजट के साथ राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत अपने एम टी एफ पी एस में तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के प्रति वचनबद्धता दर्शायी है जिनमें स्पष्ट है कि वर्ष 2012-13 में राजकोषीय घाटा स रा घ उ का 3.5 प्रतिशत होगा और वर्ष 2013-14 तक इसे कम करके तीन प्रतिशत लाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार उधार कम लेगी तथा निकट भविष्य में पूँजीकरण हेतु निधियाँ कम होंगी। तथापि चालू वित्त वर्ष में सरकार ने वर्ष 2010-11 की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक निधियों के पूँजीकरण की व्यवस्था की।

वर्ष 2011-12 के दौरान, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वेतन तथा पारिश्रमिक सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर लगभग स्थिर बना रहा। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में परिचालन एवं मरम्मत व्यय चालू वर्षों के दौरान आर्थिक सेवाओं में मूल्यवर्द्धित हुआ।

1.6 सरकारी व्यय एवं निवेशों का विश्लेषण

एफ आर बी एम ढाँचे के उपरान्त राज्य से न केवल अपने राजकोषीय घाटे (व उधार) को निम्न स्तर पर रखने वरन् अपने पूँजीगत ऋण एवं अग्रिम सहित व्यय और निवेश की जरूरतों को वहन करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भर होने के क्रम में, राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने एवं ऋण से प्राप्त निधियों की लागत को अप्रत्यक्ष उपदान के रूप में अपने बजट से वहन करने के बजाय वसूल किये जाने तथा वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। यह खण्ड, पूर्व वर्षों के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों एवं अन्य पूँजीगत व्यय का मोटे तौर पर वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.6.1 अपूर्ण परियोजनाएँ

31 मार्च 2012 को विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं सम्बन्धी सूचना तालिका 1.11 में दी गयी है।

तालिका-1.11

अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजटीय लागत	परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत*	पुनरीक्षित आगणन में लागत वृद्धि	31 मार्च 2012 को संचयी वास्तविक व्यय
लोक निर्माण विभाग	46	183.31	--	--	102.90
सिंचाई	17	70.37	--	--	18.90
योग	63	253.68			121.80

* राज्य सरकार द्वारा 31.03.2012 तक किये गये अन्तिम पुनरीक्षण के अनुसार परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत को इंगित करता है।

स्रोत: वित्त लेखे

वित्त लेखे के परिशिष्ट 10 ने दर्शाया कि पूर्णता हेतु नियत 63 परियोजनाएँ 31 मार्च 2012 को अपूर्ण रही।

1.6.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2012 को सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं (तालिका 1.12) में उत्तराखण्ड सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल नगण्य था अर्थात् पिछले 3 सालों के निवेश के एक प्रतिशत से भी कम, जबकि सरकार ने वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 के दौरान ऋणों पर 7.60 प्रतिशत औसत दर पर ब्याज दिया।

तालिका-1.12
निवेश पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/ऋणों की लागत	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
वर्ष के अन्त तक निवेश (₹ करोड़ में)	1,005	1,071	1,240	1,296	1,338
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	0.53	0.23	0.07	0.21	0.05
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.05	0.02	0.01	0.02	* ⁷
सरकारी ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.99	7.75	7.64	7.34	7.83
ब्याज दर और प्रतिफल के बीच अन्तर (प्रतिशत)	7.94	7.73	7.63	7.32	7.83

स्रोत: वित्त लेखे

निवेश एवं प्रतिफल पर इस संदर्भ में, राज्य सरकार द्वारा कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं। इस प्रकार, मानक तैयार करने तथा कम वित्तीय परन्तु उच्च सामाजिक-आर्थिक लाभ से जुड़ी परियोजनाओं को चिन्हित करने की आवश्यकता है।

मुख्य लाभार्थियाँ थीं- (i) उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 577 करोड़) और (ii) उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 802 करोड़)। तथापि इन निगमों ने वर्ष 2010-11 के अन्तिमीकृत लेखा में क्रमशः ₹ 1,948 करोड़ और ₹ 170 करोड़ की कुल हानियाँ संचित की।

1.6.3 विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के क्रियाकलाप भी कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय प्रबन्धित उपक्रमों द्वारा भी निष्पादित किये जाते हैं। सरकार द्वारा किए गए निवेशों की उस वर्ष तक जिस वर्ष तक के प्रोफार्मा लेखे

⁷ गणन योग्य नहीं।

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

तैयार कर लिए गए हैं, विभागवार स्थिति, निवल लाभ/हानि के साथ-साथ इन उपक्रमों में निवेशित पूँजी का प्रतिफल **परिशिष्ट-1.6** में दिया गया है। तीन कम्पनियों के अन्तिम लेखाओं की जाँच में यह पाया गया था कि:

- राज्य सरकार द्वारा सरकारी सिंचाई कार्यशाला, रुड़की में ₹ 1.89 करोड़ का निवेश, उस वित्तीय वर्ष के अन्त तक किया गया था, जब तक उसके लेखे तैयार (अर्थात् वर्ष 2009-10) कर लिए गये थे।
- कुल तीन उपक्रमों, अर्थात् सिंचाई कार्यशाला, रुड़की, आर एफ सी, हल्द्वानी तथा आर एफ सी, देहरादून, में से केवल सिंचाई कार्यशाला के 2009-10 तक के लेखे तैयार थे। वर्ष 2007-08 तक यह लाभार्जन का उपक्रम था, परन्तु तत्पश्चात् शुद्ध हानि दर्ज की गयी। अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार इन तीन विभागीय उपक्रमों की कुल संचित हानियाँ ₹ 46 करोड़ की थी।
- वर्ष 2011-12 के दौरान इन विभागीय उपक्रमों द्वारा कोई भी लेखा अन्तिम नहीं किया गया।

1.6.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से अनेक को ऋण एवं अग्रिम राशि भी उपलब्ध कराती रही है। **तालिका-1.13** 31 मार्च 2012 को बकाया ऋण एवं अग्रिमों, पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान के सापेक्ष ब्याज प्राप्तियों को दर्शाती है।

तालिका-1.13

राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्तियाँ/ऋण की लागत की मात्रा	2009-10	2010-11	2010-11	
			ब आ	वास्तविक आँकड़े
प्रारम्भिक शेष	777.87	743.09	--	717.90
वर्ष के दौरान दी गयी अग्रिम राशि	30.05	59.68	307.91	246.83
वर्ष के दौरान चुकता की गई राशि	64.83	84.87	--	90.65
अंतिम शेष	743.09	717.90		874.08
निवल वृद्धि	(-) 34.78	(-) 25.19		(+) 156.18
ब्याज प्राप्तियाँ	0.82	7.98		0.62
बकाया ऋणों एवं अग्रिम पर ब्याज प्राप्तियाँ प्रतिशत के रूप में	0.11	1.11		0.07
राज्य सरकार के अदत्त राजकोषीय दायित्वों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	7.14	6.85		7.49
ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्तियों के बीच अंतर (प्रतिशत)	7.03	5.74		7.42
अदत्त बकाया, जिनकी शर्तें नियत की जा चुकी हैं	राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई			

स्रोत: वित्त लेखे व वार्षिक वित्त विवरणी (उत्तराखण्ड सरकार)

सरकार ने वर्ष 2010-11 के ₹ 60 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 247 करोड़ ऋण दिये, जो कि पिछले वर्ष से ₹ 187 करोड़ अधिक थे।

बकाया ऋणों एवं अग्रिमों ब्याज के रूप में ब्याज प्राप्तियाँ, चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में निम्नतम थी। वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उठाये गये बाजार ऋणों की औसत ब्याज दर 7.83 प्रतिशत थी, जबकि राज्य सरकार द्वारा, विभिन्न संस्थाओं, निगमों/सरकारी कम्पनियों और सरकारी कर्मचारियों आदि को दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज की दर केवल 0.07 प्रतिशत थी, जो कि वर्ष 2009-10 में बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 7 प्रतिशत के लक्ष्य के सापेक्ष थी।

बारहवें वित्त आयोग ने संस्तुति दी कि बकाया पड़े ऋणों एवं अग्रिमों पर कम से कम 7 प्रतिशत प्रतिफल पूर्वानुमानित अवधि के अन्तिम वर्ष (2009-10) तक श्रेणीबद्ध ढंग से प्राप्त किया जाना चाहिए, जिस लक्ष्य को राज्य सरकार वर्ष 2011-12 में भी प्राप्त नहीं कर पायी। 31 मार्च 2012 तक सरकार द्वारा दिये गये कुल ऋण ₹ 874 करोड़ थे। मुख्य लाभार्थी, ऊर्जा (₹ 415 करोड़) एवं कृषि (₹ 295 करोड़) क्षेत्र थे। उत्तराखण्ड विद्युत निगम और उत्तराखण्ड ग्रामीण विद्युतीकरण ऊर्जा निगम दोनों को प्रदत्त ऋण का अधिकांश मिलाकर ऊर्जा क्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 323 करोड़ था।

1.6.5 रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 1.14 वर्ष के दौरान रोकड़ शेषों तथा राज्य सरकार द्वारा रोकड़ शेषों से किये गये निवेश को इंगित करती है।

तालिका-1.14
रोकड़ शेष और रोकड़ शेष का निवेश

विवरण	1 अप्रैल 2011 को	31 मार्च 2012 को	वृद्धि(+)/ कमी(-)
रोकड़ शेष	1,229.41	1,085.18	(-)144.23
रोकड़ शेष से निवेश (अ से द)			
अ. भारत सरकार के ट्रेजरी बिल	...	50.21	(+)50.21
ब. भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	...	---	---
स. अन्य प्रतिभूतियाँ, यदि कोई हो तो विवरण दें	...	---	---
द. अन्य निवेश	...	---	---
उद्धिष्ट शेष से निवेश का निधिबद्ध विवरण			
i. सिकिंग फण्ड निवेश लेखा	878.62	902.36	(+)23.74
ii. प्रत्याभूति विमोचन निधि	25.00	25.00	---
ब्याज वसूली	13.78	10.40	(-)3.38

स्रोत: वित्त लेख

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

अन्तिम रोकड़ शेष गत वर्ष (₹ 1,229.41 करोड़) की अपेक्षा चालू वर्ष (₹ 1,085.18 करोड़) के अन्त में ₹ 144.23 करोड़ घट गया।

राज्य सरकार ने रोकड़ शेष से ₹ 927.36 करोड़ की नैमित्तिक निधि सृजित की। यही राशि नैमित्तिक निधि से भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेशित की गई तथा वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 10.40 करोड़ का ब्याज अर्जित किया। वर्ष 2011-12 के दौरान रोकड़ शेष पर प्राप्त ब्याज 1.06 प्रतिशत था जबकि सरकार ने वर्ष के दौरान अपनी उधार राशियों पर 7.83 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया। राज्य सरकार ने ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ नहीं लिया और वर्ष 2011-12 के दौरान अधिकतम दिनों के लिए ₹ 0.16 करोड़ का न्यूनतम शेष बनाये रखने में समर्थ थी। तथापि, वर्ष के दौरान रोकड़ प्रवाह में अस्थायी शेष ने सरकार को 73 (साधारण और विशेष) अवसरों पर अर्थोपाय अग्रिम को प्राप्त करने के लिए मजबूर किया। वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य को ₹ 0.88 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज के रूप में देना पड़ा।



1.7 परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व

1.7.1 परिसम्पत्तियों एवं दायित्व की संरचना एवं वृद्धि

विद्यमान सरकारी लेखापद्धति में, सरकारी स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों, जैसे भूमि एवं भवनों का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया है। तथापि, सरकारी लेखे, सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। परिशिष्ट-1.4 (भाग-ब) में 31 मार्च 2011 की समतुल्य स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2012 को ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों का सार दिया गया है। इस परिशिष्ट में दायित्वों में मुख्यतः आन्तरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधि से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं तथा परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष सम्मिलित हैं।

1.7.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाया पड़े राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्तियों को परिशिष्ट-1.3, परिशिष्ट-1.4 व राज्य वित्त लेखे के विवरण 6 में प्रस्तुत किया गया है तथापि, पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय दायित्वों की संरचना चार्ट 1.10 और 1.11 में प्रस्तुत की गई है।



ऋण- स रा घा उ अनुपात वर्ष 2011-12 (24.80 प्रतिशत) के लिए, वर्ष 2010-11 (26.19 प्रतिशत) से 1.39 प्रतिशत कम था। यह अनुपात तेरहवें वित्त आयोग के उस वर्ष के लिए, निर्धारित मापदण्ड (41.10 प्रतिशत) से नीचे था। समग्र राजकोषीय दायित्व वर्ष 2007-08 के ₹ 14,392 करोड़ से 64.04 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 23,609 करोड़ हो गये थे। राज्य के देयताएँ जो वर्ष 2011-12 के अन्त में ₹ 23,609 करोड़ के थे उसमें मुख्य रूप से लोक ऋण (₹ 17,304 करोड़), लघु बचत एवं भविष्य निधि (₹ 4,449 करोड़) और अन्य दायित्व (₹ 1,856 करोड़) शामिल थे। पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष की समाप्ति पर राजकोषीय दायित्वों में वृद्धि मुख्यतः आन्तरिक ऋण तथा लघु बचत एवं भविष्य निधि आदि के कारण थी, जो क्रमशः ₹ 1,300 करोड़ एवं ₹ 626 करोड़ तक बढ़ गये थे। राजकोषीय देयताओं में वृद्धि विभिन्न वर्षों में कम बढ़ी। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 में यह 9.31 प्रतिशत बढ़ी। वर्ष के दौरान स रा घा उ के सापेक्ष इन दायित्वों में उत्प्लावकता 0.60 थी, जो यह इंगित करती थी कि स रा घा उ में प्रत्येक प्रतिशत बिन्दु के लिए राजकोषीय दायित्व 0.60 प्रतिशत बढ़ गये थे। ये दायित्व राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 1.72 गुना एवं अपने संसाधनों का 3.50 गुना थे। राज्य में प्रारम्भ से ही खुले बाजार ऋणों की भुगतान वापसी के लिए सिंकिंग फण्ड चलन में है और राज्य सरकार को पिछले वर्ष के बकाया पड़े बाजार ऋणों के तीन प्रतिशत की दर से अंशदान करना है। तथापि, राज्य सरकार ने इस उद्देश्य हेतु देय ₹ 217 करोड़ के विरुद्ध इस वर्ष केवल ₹ 25 करोड़ प्रदत्त किया।

1.7.3 प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक दायित्व

प्रत्याभूतियाँ, उधार लेने वाले जिसके लिये प्रत्याभूति दी गयी है, के दोषी रहने पर राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक दायित्व हैं।

राज्य विधायिका द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत उस अधिकतम सीमा के निर्धारणार्थ कोई भी कानून पारित नहीं किया गया, जिसके अन्तर्गत सरकार राज्य समेकित निधि की प्रतिभूति पर प्रत्याभूतियाँ दे सके। एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 में यह विहित है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रवृत्त होते समय विद्यमान, राज्य सरकार के किसी नियम या कानून के अन्तर्गत अथवा इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या कानून द्वारा, निर्धारित सीमा से अधिक राशि पर प्रत्याभूति नहीं देगी। तथापि, प्रत्याभूतियों की सीमा तय करने के लिए राज्य सरकार ने अभी तक कोई कानून पारित नहीं किया है।

वित्त लेखे के विवरण संख्या 9 के अनुसार, अधिकतम राशि जिसके लिए राज्य द्वारा प्रत्याभूतियाँ दी गई थी तथा विगत तीन वर्षों में बकाया प्रत्याभूतियाँ तालिका-1.15 में दी गई हैं:

तालिका-1.15

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूतियाँ	2009-10	2010-11	2011-12
प्रतिभूति की अधिकतम राशि	125	2,122	2,722
प्रतिभूति की बकाया राशि	1,511	1,511	1,739
कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रतिभूति की अधिकतम राशि का प्रतिशत	1.32	18.28	19.88
एफ आर बी एम अधिनियम/कोई अन्य अधिनियम अथवा राज्य के आदेश के अनुसार मानदण्ड	एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 के परिपालन में राज्य सरकार द्वारा कोई भी नियम नहीं बनाया गया है।		

स्रोत: वित्त लेखे

सरकार ने ₹ 25 करोड़ की प्रत्याभूति संग्रह उचित प्रत्याभूतियों के निपटान के लिए एक 'प्रत्याभूति विमोचन निधि' गठित किया है।

राज्य सरकार ने प्रत्याभूति देने योग्य निर्धारित सीमाओं के लिए, एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 के अनुसरण में, कोई नियम नहीं बनाये हैं। उपरोक्त की अनुपस्थिति में यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सका कि सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूति सीमाओं के दायरे में थी।

प्रत्याभूति बनाम राजस्व प्राप्तियों की अधिकतम राशि का प्रतिशत, 2009-10 के 1.32 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 19.88 प्रतिशत हो गया। 31 मार्च 2012 तक बकाया प्रत्याभूति की राशि उर्जा क्षेत्र (₹ 1,187 करोड़), सहकारिताओं (₹ 475 करोड़) और चार अन्य संस्थाओं (₹ 77 करोड़) के विरुद्ध थी।

1.8 ऋण-वहन क्षमता

राज्य सरकार के ऋणों के विस्तार के अलावा राज्य की ऋण वहन क्षमता को निर्धारित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण किया जाना महत्वपूर्ण है। यह खण्ड, ऋण स्थिरीकरण, ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता, उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता, ब्याज भुगतानों का भार (राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतानों के अनुपात द्वारा मापित) और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के संदर्भ में राज्य सरकार की ऋण-वहन क्षमता का आकलन करता है। तालिका 1.16 वर्ष 2009-10 से आरम्भ करते हुए तीन वर्षों की अवधि हेतु इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण-वहन क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका-1.16

ऋण वहन क्षमता : सूचक एवं प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

ऋण वहन क्षमता के सूचक ⁸	2009-10	2010-11	2011-12
ऋण स्थायित्विकरण ⁹ (मात्रात्मक विस्तार + प्राथमिक घाटा)	(+) 2,083	(+) 1,592	(+) 1,811
ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल) ¹⁰	(-)940	(+) 1,224	(+) 664
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता ¹¹	261	820	308
ब्याज/भुगतानों का भार (ब्याज भुगतान/रा प्रा अनुपात)	14.10	12.75	12.92

तालिका-1.16 की प्रवृत्तियाँ दर्शाती हैं कि वर्ष 2009-10 के दौरान मात्रा विस्तार के साथ-साथ प्रारम्भिक घाटा धनात्मक (₹ 2,083 करोड़), थे जो कि वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 1,592 करोड़ तक उतर गये। तथापि वर्ष के दौरान उच्चोन्मुखी प्रवृत्ति दर्शायी और वर्ष 2011-12 के अन्त में ₹ 1,811 करोड़ पर रहा। ऋण- स रा घा उ अनुपात जो वर्ष 2007-08 में 31.40 प्रतिशत था, चालू वर्ष के दौरान 24.80 प्रतिशत तक उतर गया। उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में, ऋण- स रा घा उ अनुपात 24.80 प्रतिशत पर था, जो तेरहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित लक्ष्य (41.10 प्रतिशत) से अत्यधिक नीचे था।

ऋण स्थायित्व और इसकी वहन क्षमता का दूसरा सूचक, बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों और बढ़ते हुए प्रारम्भिक व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता है। ऋण-वहन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सुविधाजनक बनाया जा सकता था यदि बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियाँ,¹² बढ़ते हुए ब्याज भार और बढ़ते हुए प्रारम्भिक व्यय को पूरा कर सकतीं। धनात्मक संसाधन अंतराल राज्य के ऋणों को संभालने की क्षमता को मजबूत करता है। तालिका 1.16 वर्ष 2008-11 की अवधि हेतु परिभाषित संसाधन अंतराल को इंगित करती है।

राज्य ने वर्ष 2008-09 व वर्ष 2009-10 में ऋणात्मक संसाधन अंतराल का अनुभव किया था लेकिन 2010-11 और 2011-12 के दौरान यह धनात्मक हो गया जो बदले में 2010-11 में राजस्व घाटे को लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) तक नीचे ले आया और अंततः राज्य ने चालू वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य (₹ 716 करोड़) प्राप्त किया। वर्ष 2010-11 के दौरान राजकोषीय घाटा (₹ 1,843 करोड़) को तर्क संगत सीमा तक नीचे लाया गया था, जो चालू वर्ष के दौरान (स रा घा उ का 1.85 प्रतिशत) ₹ 1,757 करोड़ तक और नीचे आ गया।

⁸ परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

⁹ परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

¹⁰ परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

¹¹ परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

¹² परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

ऋण छूट वर्ष 2007-10 के दौरान उच्चतर स्तर पर रहा था तथा वर्ष 2010-11 में थोड़ा सुधरे (0.83) जिससे यह इंगित होता है कि इस अवधि के दौरान पुरानी ऋण देयताओं को समाप्त करने के लिए ऋण निधियों का बढ-चढ कर प्रयोग किया जा रहा है (परिशिष्ट-1.3)। तथापि, वर्ष 2011-12 के दौरान इसने उच्चोन्मुखी प्रवृत्ति दर्शाई। चालू वर्ष के दौरान आन्तरिक ऋण छूट, नई ऋण प्राप्तियों का 29.12 प्रतिशत थी; भारत सरकार के ऋणों में छूट 56.59 प्रतिशत थी जबकि अन्य देयताओं के प्रकरण में चुकौतियाँ नयी प्राप्तियों के 83.35 प्रतिशत थीं। यह प्रवृत्तियाँ इस तथ्य की ओर इंगित करती हैं कि सरकार का ध्यान पुरानी ऋण देयताओं की समाप्ति की ओर प्रतीत होता है।


राज्य की परिपक्वता रूप रेखा नीचे तालिका 1.17 एवं चार्ट 1.12 में प्रदत्त है।

तालिका-1.17

लोक ऋण की परिपक्वता रूप रेखा

परिपक्वता रूप रेखा	राशि (₹ करोड़ में)	कुल लोक ऋण पर प्रतिशतता
0-1 वर्ष	1,271	7.35
1-3 वर्ष	1,747	10.11
3-5 वर्ष	2,301	13.30
5-7 वर्ष	2,657	15.37
7 वर्ष से अधिक	8,016	46.37
अन्य (राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी)	1,296	7.50
योग	17,288	100

स्रोत: वित्त लेखे



स्रोत: वित्त लेखे



व्यय-दायित्व के निर्वहन हेतु सरकार को और अधिक उधार लेना पड़ा जैसा कि विगत पाँच वर्षों में किसी भी वर्ष में राजकोषीय आधिक्य उपलब्ध नहीं था। 31 मार्च 2012 को लोक ऋण के बकाया स्टॉक की परिपक्वता रूप रेखा दर्शाती है कि 46.37 प्रतिशत लोक ऋण सात वर्षों या अधिक की परिपक्वता में था।

1.9 राजकोषीय असंतुलन

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड-राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारम्भिक घाटा-एक विशिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में राजकोष के समस्त असन्तुलनों की सीमा को इंगित करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा इसकी प्राप्तियों और व्यय के मध्य के अन्तराल को प्रस्तुत करता है। घाटे की प्रकृति, सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का एक सूचक है। पुनः किस तरह घाटे का वित्त पोषण किया जाता है और जुटाए गये संसाधनों को प्रयुक्त किया जाता है, यही इसके राजकोषीय स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूचक है। यह खण्ड, इन घाटों की प्रवृत्तियों, प्रकृति, परिमाण एवं वित्त पोषण के ढंग तथा एफ आर बी एम अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु निर्धारित किये गये लक्ष्यों के सापेक्ष राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों के आकलन को भी प्रस्तुत करता है।

1.9.1 घाटे की प्रवृत्तियां

चार्ट 1.13 एवं 1.14, 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि में घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।



राज्य ने 2007-08 से 2008-09 तक राजस्व आधिक्य का अनुभव किया जो 2009-10 में मुख्यतः छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन से घाटे में बदल गया। तथापि राज्य वर्ष 2010-11 के दौरान राजस्व घाटे को लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) तक नीचे लाने में और वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 716 करोड़ का आधिक्य प्राप्त करने में कामयाब रहा। राजकोषीय घाटा वर्ष 2010-11 में कम किया गया और एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 में निर्धारित चार प्रतिशत लक्ष्य से नीचे स रा घ उ का 2.24 प्रतिशत था। सरकार के द्वारा राजकोषीय समेकन के लिए किए गए प्रयासों के फलस्वरूप ही 2011-12 में भी राजकोषीय घाटे में उतार हुई। ₹ 1,757 करोड़ का राजकोषीय घाटा, स रा घा उ के 1.85 प्रतिशत पर वर्तमान रूप में टिका है और इस संदर्भ में तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य 3.5 प्रतिशत के अन्तर्गत ही है।

वर्ष 2007-09 तक कुछ नियन्त्रण में रहने वाले प्राथमिक घाटे ने 2009-10 (₹ 1,445 करोड़) में मात्रात्मक उछाल लिया था और वर्ष 2010-11 में नीचे (₹ 363 करोड़) आ गया और चालू वर्ष में सकारात्मक बन गया है।

1.9.2 राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त-पोषण पद्धति

राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में एक संरचनात्मक बदलाव हुआ जैसा कि तालिका 1.18 में परिलक्षित है।

तालिका-1.18

राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजकोषीय घाटे का विघटन					
1 राजस्व घाटा (-) आधिक्य (+)	(+) 636	(+) 241	(-) 1,171	(-) 13	(+) 716
2 पूँजीगत व्यय	(-) 2,235	(-) 2,016	(-) 1,647	(-) 1,855	(-) 2,317
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 145	(-) 68	(+) 35	(+) 25	(-) 156
राजकोषीय घाटे की वित्त-पोषण पद्धति*					
1 बाजार ऋण	733	884	460	890	1,159
2 भारत सरकार से ऋण	(-) 16	(-) 19	(-) 5	16	20
3 एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	195	120	672	921	332
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	213	204	70	182	131
5 लघु बचत, भविष्य निधि आदि	155	531	1,066	870	626
6 जमा एवं अग्रिम	142	61	229	46	33
7 उचन्त एवं विविध	138	(-) 331	722	(-) 331	(-) 412
8 प्रेषण	85	(-) 238	(-) 129	(-) 303	(-) 466
9 अन्य	55	127	(-) 6	242	190
10 कुल आधिक्य/घाटा(नकद शेष)	44	504	(-) 296	(-) 690	144
11 सकल राजकोषीय घाटा	1,744	1,843	2,783	1,843	1,757

स्रोत: वित्त लेखे

राजस्व आधिक्य जो कि 2009-10 में घाटे में बदल गया था, राजस्व व्यय में अत्यल्प उछाल के कारण चालू वर्ष के दौरान पुनः आधिक्य की ओर प्रवृत्त हुआ। राज्य वर्ष 2010-11 में राजस्व घाटे को कम करके लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) तक लाने में कामयाब हो पाया और चालू वर्ष में राजस्व आधिक्य (₹ 716 करोड़) प्राप्त किया। राजकोषीय घाटा (₹ 1,757 करोड़) बड़ी मात्रा में बाजार की उधारियों (₹ 1,159 करोड़) और राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों (₹ 332 करोड़) से प्रबन्धित किया गया। यद्यपि, वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में वृद्धि (24.91 प्रतिशत) हुई, राजकोषीय घाटे को तर्कसंगत सीमा अर्थात् स रा घ उ के 3.5 प्रतिशत तक (तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार) चालू वर्ष के दौरान नीचे लाया गया (स रा घा उ का 1.85 प्रतिशत)।

1.9.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक राजस्व घाटा एवं पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित), राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता के सूचक होंगे। राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का अनुपात उस सीमा को इंगित करता है जहाँ तक वर्तमान उपभोग के लिये ऋण निधियों का उपयोग किया गया था। पुनः राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का सतत् उच्च अनुपात यह भी दर्शाता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार निरंतर कम हो रहा था और ऋणों (राजकोषीय दायित्व) के अंश परिसम्पत्तियों द्वारा समर्थित नहीं थे। प्राथमिक घाटे का विभाजन (तालिका 1.19) उस सीमा को इंगित करेगा जहाँ तक घाटा पूँजीगत व्यय में वृद्धि के कारण रहा है जो राज्य अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिये वांछनीय हो सकता है।

तालिका-1.19

प्राथमिक घाटा/आधिक्य-संघटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ऋणोत्तर प्राप्तियाँ*	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	कुल प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-) /आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-) /आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2007-08	7,959	6,159	2,235	213	8,607	(+) 1,800	(-) 648
2008-09	8,689	7,206	2,016	122	9,344	(+) 1,483	(-) 655
2009-10	9,551	9,319	1,647	30	10,996	(+)232	(-) 1,445
2010-11	11,693	10,141	1,855	60	12,056	(+) 1,552	(-) 363
2011-12	13,782	11,206	2,317	247	13,770	(+)2,576	(+)12

* लोक ऋण प्राप्तिओं से इतर प्राप्तियाँ अर्थात् ऐसी प्राप्तियाँ जिन्हें वापस नहीं किया जाता है

- ऋणोत्तर प्राप्तियाँ 2007-08 से 2011-12 तक 73.16 प्रतिशत बढ़ी और प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थीं। तथापि, अन्तराल जो 2009-10 में काफी कम हो गया था, पुनः 2010-11 और 2011-12 में उच्चोन्मुखी प्रवृत्ति दर्शायी।
- कुल प्राथमिक व्यय में 2007-08 की तुलना में 2011-12 के दौरान ₹ 5,163 करोड़ की वृद्धि हुई, यह वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान ₹ 5,047 करोड़ की सीमा तक प्राथमिक राजस्व व्यय की वृद्धि के कारण थी।
- प्राथमिक राजस्व आधिक्य, जिसने 2009-10 में तीव्र उतार दर्शाया, पुनः पिछले दो वर्षों के दौरान तीव्र उच्चोन्मुखी प्रवृत्ति दर्शाई।
- चालू वर्ष के दौरान, प्राथमिक घाटा, गैर ऋण प्राप्तियों में वृद्धि होने के कारण प्राथमिक आधिक्य में परिवर्तित हुआ।

1.10 निष्कर्ष

पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹ 2,083 करोड़ (17.94 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः संघ के करों व शुल्कों में राज्य के अंश (₹ 406 करोड़), राज्य के अपने कर राजस्व (₹ 1,210 करोड़) और गैर कर राजस्व (₹ 458 करोड़) में बढ़ोत्तरी के कारण थी। राज्य की व्यय पद्धति उदघाटित करती है कि कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय चालू वर्ष में बढ़ा तथा सम्पत्तियाँ सृजन के लिए अपर्याप्त स्रोतों को छोड़ते हुये करीब 83.50 प्रतिशत रहा। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (एन पी आर ई) में विगत वर्ष की तुलना में 16.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2011-12 के दौरान वेतन पर व्यय 46.66 प्रतिशत था और एन पी आर ई के एक बड़े अंश को खपत करने की निरंतरता बनाए रहा। वर्ष 2011-12 में पेंशन भुगतान पर व्यय ₹ 1,135 करोड़ था जो राजस्व प्राप्तियों का 8.29 प्रतिशत था। पेंशन भुगतान, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानक (₹ 1,208 करोड़) से अत्यधिक कम था (तेरहवें वित्त आयोग की प्रतिवेदन का अनुलग्नक 7.7)। राज्य को आयोजनेत्तर राजस्व व्यय के घटकों को नियंत्रित करने के लिए उपाय ढूँढने चाहिए तथा ब्याज कटौती के लिए आवश्यकता आधारित उधार पर आश्रित रहना चाहिए।

गत वर्ष की तुलना में 2011-12 में राज्य के पूँजीगत व्यय में ₹ 462 करोड़ (प्रस्तर 1.4.1) की वृद्धि हुई जो मुख्यतः (i) सामाजिक सेवाओं (ii) आर्थिक सेवाओं में वृद्धि के कारण थी। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय ने वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 की अवधि में विचलनशील प्रवृत्ति दर्शाई जो वर्ष 2007-08 में 23 प्रतिशत व वर्ष 2011-12 में 15 प्रतिशत थी। चालू वर्ष में इसने पिछले वर्ष के सापेक्ष वृद्धि (25 प्रतिशत) दर्शाई लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपने एफ सी पी (₹ 3,095 करोड़) और एम टी एफ पी एस (₹ 2,524 करोड़) में निर्धारित लक्ष्य से नीचे (₹ 2,317 करोड़) रहा।

विकासपरक पूँजीगत व्यय के अंश ने भी अन्तर्वर्षीय भिन्नता दर्शाई लेकिन वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान थोड़ा सा बढ़ गया तथापि समग्र विकासपरक व्यय वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 की अवधि के दौरान 63 प्रतिशत बढ़ गया। सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं में सरकार के निवेश पर पिछले तीन वर्षों में औसत प्रतिफल लगभग नगण्य था जबकि सरकार ने वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 तक अपने ऋणों पर औसतन 7.60 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान किया।

राज्य ने वर्ष 2007-08 से वर्ष 2008-09 तक राजस्व आधिक्य अनुभव किया जो वर्ष 2009-10 में मुख्यतः छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के कार्यन्वयन के कारण घाटे में बदल गया तथापि राज्य वर्ष 2010-11 में राजस्व घाटे को लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) तक लाने में कामयाब हो पाया था और चालू वर्ष के दौरान ₹ 716 करोड़ का राजस्व आधिक्य प्राप्त कर लिया।

राजकोषीय घाटा को जो कि 2009-10 के दौरान उच्च स्तर पर था और स रा घा उका 3.93 प्रतिशत था, 2010-11 और 2011-12 में 3.5 प्रतिशत की तर्कसंगत सीमा तक नीचे लाया गया था। 2011-12 के दौरान ₹ 1,757 करोड़ का राज्य राजस्व घाटा, राजकोषीय समेकन को दर्शाता हुआ स रा घा उ के 1.85 प्रतिशत पर टिका रहा।

वर्ष 2011-12 के अंत में राज्य के रोकड़ शेष में ₹ 144 करोड़ की कमी हुई और भारतीय रिजर्व बैंक में नकद शेषों के निवेश व भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश पर प्राप्त ब्याज नगण्य (1.06 प्रतिशत) था, जबकि सरकार ने 7.83 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर ऋण लिया। तथापि, राज्य निम्नतम नकद शेष बना रख पाया और वर्ष के दौरान ओवर ड्राफ्ट सुविधा का सहारा नहीं लिया।

2011-12 में ऋण- स रा घ उ अनुपात, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानक 41.10 प्रतिशत से काफी नीचे, 24.80 प्रतिशत पर था। पिछले पाँच वर्षों में, राज्य ने पहली बार प्राथमिक आधिक्य की स्थिति (₹ 12 करोड़) चालू वर्ष में प्राप्त कर ली। वित्तीय वर्ष के अन्त में जमाव से बचने के लिये, ऋणों का विवरण बनाए रखना तथा ऋण भुगतानों की परिपक्वता की रूपरेखा की स्पष्ट समझ रखना, विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन में दीर्घकालिक लाभ देगी।

वर्ष 2011-12 के दौरान, ₹ 2,040 करोड़ की एक बड़ी धनराशि सीधे राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को अन्तरित की गयी। तथापि, इन निधियों को राज्य बजट/राजकोष पद्धति के माध्यम से नहीं दिया गया। जैसे कि यह निधियाँ राज्य बजट के बाहर रहती हैं, इनके उपयोग का अनुश्रवण करने के लिये एक भी अभिकरण नहीं है और तत्काल रूप से उपलब्ध कोई ऐसे आँकड़े नहीं हैं ताकि किसी विशेष वर्ष में प्रमुख चिन्हित योजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में वास्तव में कितना व्यय हुआ है-आंका जाए।

1.11 संस्तुतियाँ

सरकार को चाहिए कि:

- सभी परियोजनाओं को तत्परता से पूरा करने के लिए प्रभावशाली कार्ययोजना तैयार करें ताकि लोग समय पर परिलक्षित लाभ प्राप्त करें।
- निवेश में धन के बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय लेने हेतु विचार करें।